20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुर्नविलोकन प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–बैतूल

पुनर्विलोकन – 5865/2018/बैतूल/भू.रा.

1 श्रीमती अंजूलता पिता चन्द्रिका प्रसाद वर्मा
निवासी–मलकापुर तहसील व जिला – बैतूल (म.प्र.)

2 श्रीमती मंजूलता पिता चन्द्रिका प्रसाद वर्मा
निवासी – पुराना बच्चा जेल के पास टिकारी तहसील व जिला – बैतूल म.प्र.

...... आवेदकगण

विरूद्ध

1– चन्द्रिका प्रसाद पुत्र श्री सालिक राम वर्मा
निवासी – प्रताप वार्ड टिकारी तहसील व जिला बैतूल (म.प्र.)

2– खिलेश पुत्र श्री कृष्ण चन्द्र सतीजा
निवासी – लोहिया वार्ड तहसील व जिला बैतूल म.प्र.

3– बल्देव पुत्र श्री के.एल. अरोरा
निवासी – राजेन्द्र वार्ड बैतूल तहसील व जिला बैतूल म.प्र.

4– यशवंत राव पुत्र श्री भगवन्त राव कनाठे
निवासी – झल्लार तहसील भैसदेहीं जिला बैतूल म.प्र.

...... अनावेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 22-9-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 1-10-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 22-9-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

22-9-18

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1423-पी.बी.आर/2017 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 05.09.2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुनर्विलोकन 5865/2018/बैतूल/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04.12.2018	आवेदक पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। यह रिव्यु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 05.09.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है- (1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या (2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती, या (3) अन्य कोई पर्याप्त आधार। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्कों में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है। केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। अतः यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है। (मनोज गोयल) अध्यक्ष	